फर्द अहकाम

मनभार देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 396/2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.2024	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1272/1 रकबा 0.22 है० 1275/1 रकबा 0.31 है० 1276/1 रकबा 0.24 है० भूमि की 90बी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.04.2011 को गई थी। उक्त भूमि को सहवन से खसरा नक्शे में रिंग रोड में दर्शा दिया गया है. जबकि रिंग रोड में खसरा नम्बर 1272, 1275, 1276 की भूमि को दर्शाया जाना चाहिए था। खसरा नम्बर 1272/1 रकबा 0.22 है०, 1275/1 रकबा 0.31 है०, 1276/1 रकबा 0.24 है० भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 1272, 1275 व 1276 की भूमि को रिंग रोड में दर्शाया जायें तथा खसरा नम्बर 1272/1, 1275/1. 1276/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1272, 1275 व 1276 की भूमि को दर्शाने की कृपा करें। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 1272/1 रकबा 0.22 है०, 1275/1 रकबा 0.31 है०, 1276/1 रकबा 0.24 है० भूमि तथा खसरा नम्बर 1272/1, 1275/1. 1276/1 भूमि है। जो गलत दर्ज है। सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू.अ.नि. गोनेर, तहसील सांगानेर के राजस्व नक्शे व राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.0300 है0 के स्थान पर ख.सं0 1272/1 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 1272 का रकबा 0.300 है0 बदस्तूर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.800 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 1275/1 रकबा 0.3100 है0 खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.800 है0 बदस्तूर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.0700 है0 के स्थान पर ख.सं0 1276/1 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.07 है0 बदस्तूर किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	